भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4645
दिनांक 21 अगस्त, 2025

छत्तीसगढ़ में नई गैस एजेंसी की स्थापना

4645. श्री विजय बघेलः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रिसामा, मचांदुर और चिरपोटी के 10 किलोमीटर के दायरे में जहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, कोई गैस एजेंसी संचालित नहीं है, को ध्यान में रखते हुए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला श्रेणी के अंतर्गत नई गैस एजेंसी स्थापित करने के लिए ग्राम चिरपोटी, तहसील एवं जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) की ओर रेलवे समपार से अंडा-फुंडा मुख्य मार्ग पर कोई स्थान तय करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त प्रस्ताव कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख): सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की नियुक्ति एकीकृत चयन दिशानिर्देश (यूएसजी), 2016 के अनुसार की जाती है तथा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने के लिए स्थलों की पहचान की जाती है एवं तदनुसार विज्ञापित की जाती है।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के रिसामा, मचांदुर और चिरपोटी गांवों की वर्तमान एलपीजी मांग वर्तमान में 15 किलोमीटर के दायरे में प्रचालन कर रहे तीन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) डिस्ट्रीब्यूटरों तथा एक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा पूरी की जाती है।

अक्टूबर 2024 में, ओएमसीज द्वारा रिसामा के लिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु एक व्यवहार्यता अध्ययन किया गया था। वर्तमान में, बाजार की एलपीजी मांग इन स्थलों पर सेवा प्रदान करने वाले मौजूदा डिस्ट्रीब्यूटरों की मासिक सम्मिलित अधिकतम सीमा मांग से कम है। अतः यूएसजी के अनुसार, नई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने के लिए स्थल उपयुक्त नहीं पाए गए।

*****